न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 01/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
अशोक कुमार पुत्र बस्तीराम कौम कुम्हार निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली		1. मृतक मोहनलाल पुत्र बस्तीराम के का.मु. 1/1 श्रीमती लीला पत्नी मोहनलाल 1/2 कान्तिलाल पुत्र मोहनलाल 1/3 राकेश पुत्र मोहनलाल 1/4 सुनिता पुत्री मोहनलाल 2. चन्दूराम उर्फ चन्द्राराम पुत्र बस्तीराम कौम कुम्हार निवासीगण बस स्टेण्ड खैरवा, तहसील व जिला पाली (राज.) 3. ग्राम पंचायत खैरवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा पंचायत समिति पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थी श्री पीताराम परिहार
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 व 2 मो. सफी पठान

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 13-8-18

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रोहट के मिसल संख्या 06/2014–15 प्रस्ताव दिनांक 20.08.2014 की पालना में विक्रय विलेख संख्या 2948 दिनांक 16.09.2014 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत रोहट का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि एक पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 10.04.2004 को एवं एक अन्य बंटवाडा दिनांक 05.06.2006 को हुआ है। दोनों की बंटवाडे से उभयपक्ष सहमत नहीं होने से जैर निगरानी सम्पत्ति पुश्तैनी होने के कारण बंटवाडा का दावा जिला न्यायालय पाली में विचारणीय है। पूर्व में दोनों मकानों का पट्टा रूघनाथ पुत्र उदा के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। जिसकी जानकारी उभयपक्ष को भलीभांती है। ग्राम पंचायत खैरवा को अंधेरे में रखकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने गनी खॉ के साथ मिलकर अपने नाम फर्जी पट्टा बनवा दिया जिसे निरस्त करना न्याय संगत है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा पूर्व में रूघनाथ पुत्र उदा के नाम जारी पट्टा भूमि का ही जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया पश्चातवर्ती पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी कॉलम नहीं भरे गए है। भूखण्ड मय मकान किस प्रकार प्राप्त हुआ उल्लेखित नहीं है, न ही भूमि का क्षेत्र एवं पडोस अंकित किए हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा टाइप सुदा आदेशिकाओं में रिक्त स्थान की पुर्ति करते हुए एक ही दिन में तैयार की गई है। जिस पर पट्टा धारक के हस्ताक्षर नहीं है तथा आदेशिका में आवेदक द्वारा निर्धारित फीस जमा कराने का विवरण अंकित नहीं है, इससे जाहिर होता है कि बिना राशि जमा कराए तमाम कार्यवाही की गई है। जो निरस्त योग्य है। आपत्ति आमंत्रण नोटिस कहां एवं किन मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया गया है वह अंकित नहीं है। आदेशिका दिनांक 20.08.2014 को नियम 157 का उल्लेख करते हुए बिना शुकराना राशि तय किए विक्रय विलेख का आदेश पारित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गया उसका तथा जिन गवाहों के बयान लिए गए उनका नाम भी आदेशिका में उल्लेखित नहीं है। जो बयान लिए गए उसमें अप्रार्थी मोहनलाल एवं चन्दाराम के बयान सम्मिलित रूप से एक बयान फॉर्म में लिए गए है जो विधि सम्मत नहीं है। विक्रय विलेख बुक पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विक्रय विलेख बुक पंचायत समिति से जारी की हुई नहीं है। बंटवाडे का दावा विचाराधीन रहते बंटवाडे के किसी विशेष पक्षकारों के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। मिश्री पत्नी बस्तिराम के हिस्से में दो मकान आए है, जिसके इन्तकाल के पश्चात उनमें उसके चारों पुत्रो का समान हिस्सा है। मिसल में लिए गए बयानों में जिन गवाहों के बयान लिए उनमें दो की वल्दियत अंकित नहीं है तथा बयान किस दिनांक को लिए गए उसकी तारीख अंकित नहीं है एवं बयानों में जैर निगरानी आराजी के संबंध में विवाद नहीं होने बाबत टिप्पणी की गई है। जबकि विवाद न्यायालय तक में चल रहा है। सम्पति पुश्तैनी होने के कारण विक्रय विलेख चारों भाई मोहनलाल, चन्दाराम, अशोक कुमार एवं हुक्मीचंद के नाम जारी होना चाहिए था। लेकिन मात्र दो व्यक्ति मोहनलाल व चन्दाराम के नाम का जारी किया गया है तथा पट्टे में कई वांछित कॉलम रिक्त छोड दिए गए है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित जवाब व बहस के अनुसार कथन किया कि रूघनाथ पुत्र उदा कुम्हार निवासी खैरवा के नाम से मकान है। जो बाद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनकी माता स्व. मिश्रीबाई बेवा बस्तिराम तथा मिश्री बाई के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व हुक्मीचंद की संयुक्त संपति है। एक मकान पक्का निर्माणाधीन जिसमें मिश्रीबाई के चारों पुत्रों प्रार्थी व अप्रार्थीगण एवं हुक्मीचंद का निवास है, अन्य एक बाडा जिसमें दो कच्चे पडवे बने हुए थे। मिश्रीबाई के पुत्र बडे हो गए तो मिश्रीबाई ने प्रार्थी व हुक्मीचंद जो छोटे थे उन्हें अपना रहवासीय मकान(बडेर) रहने के लिए दिया तथा आराजी का हिस्सा जो बाडे के रूप में था। वह अप्रार्थीगण को दिया उसी का पट्टा मोहनलाल व चन्दुराम उर्फ चन्दाराम के नाम बनाया गया है। मिश्रीबाई ने अपने जीवनकाल में ही मौजीज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्रों के मध्य आपस में कोई विवाद न हो इस हेतु लिखा पढी कर आपसी बंटवाडा कर दिया। जो भाग अप्रार्थीगण के हिस्से में आया उसी का पट्टा अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया है। जैर निगरानी आराजी खैरवा गांव मुख्य सडक निकलने से उसकी कीमत बढ गई, तो लालच में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडे का एक झुठा वाद जिला न्यायालय पाली के समक्ष पेश किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा इस न्यायालय में पट्टा खारिज कराने हेतु निगरानी पेश की है। जिला न्यायालय द्वारा पट्टे को साक्ष्य में ग्राह्मय योग्य माना है। ऐसी स्थिति में निगरानी खारिज फरमाई जावें। पट्टा विधि सम्मत कार्यवाही कर जारी किया गया है, जिसमें निष्पक्ष गवाह ढलाराम व उस्मान गनी तथा प्रार्थी मोहनलाल व चन्दाराम के बयान लेकर पट्टा जारी किया गया है जो विधि सम्मत है। पंचायत मिसल में हस्ताक्षर व तारीखों का अंकन नहीं किया गया जो ग्राम पंचायत के अधिकारी व कर्मचारियों की मानवीय भूल है। इस आधार पर पट्टा खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड की कीमत बढ जाने एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद को प्रभावित करने के लिए तथा अप्रार्थीगण के भूखण्ड में से कुछ हिस्सा प्राप्त करने के लिए निगरानी पेश की है। जिसे खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा पृथक–पृथक बंटवाडे का कथन किया गया है, जिनकी प्रति पत्रावली संलग्न प्रस्तुत है। उनके संबंध में जिला न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा यह बिन्दु इस न्यायालय में निगरानी के तहत विचारणीय नहीं है। इस न्यायालय को पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत नियमों की विधिक पालना बाबत परीक्षण किया जाना है। अप्रार्थीगण स्व. मोहनलाल व चन्दाराम द्वारा पट्टा

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

प्राप्त करने का जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया। उसके कॉलम संख्या 1, 4 से 7 तक रिक्त है तथा दिनांक का अंकन भी नहीं है एवं आराजी किस कदर प्राप्त हुई है, पुश्तैनी है अथवा कब्जासुदा, इस बात का अंकन नहीं है। अप्रार्थीगण व प्रार्थी दोनों ही इस बात से सहमत है कि जैर निगरानी भूमि पुश्तैनी श्री रूघनाथ पुत्र उदा कुम्हार के नाम की थी। जो उनके दादा है से उन्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में पुश्तैनी सम्पति में माता की मृत्यु के उपरान्त विक्रय विलेख ग्राम पंचायत को सभी वारिशान के नाम जारी करना विधि सम्मत था। ऐसा नही कर पंचायत द्वारा जो पट्टा अप्रार्थीगण श्री मोहनलाल व चन्दाराम के हक में जारी किया गया है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं है। इसके लिए पंचायत मिसल संख्या 06/2014–15 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जैर निगरानी आराजी किस प्रकार प्राप्त हुई, भूमि का क्षेत्र कितना है तथा कई बिन्दु रिक्त है। इस प्रकार अपूर्ण आवेदन पेश किया गया है। आवेदक द्वारा निर्धारित फीस जमा कराने का विवरण आदि अंकित नहीं है। आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस कहां चस्पा किया गया एवं कब किया गया इसके पृष्ठ भाग पर चस्पानगी की रिपोर्ट नहीं है मात्र दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिनकी कोई पहचान अथवा वल्दियत अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जो नक्शा बनाकर संलग्न किया है। उसमें पैमाना खाली है तथा नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है न ही पडोस अंकित है। ग्राम पंचायत की मिसल में द्वितीय आदेशिका में मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त पंचों के नाम अंकित नहीं है न ही उक्त आदेशिका में सरपंच अथवा सचिव के हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 20.08.2014 में बिना शुकराना राशि तय किए पट्टा जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए। जो विधि सम्मत नहीं है। मिसल में किसी भी आदेशिका में जैर निगरानी आराजी के पुश्तैनी अथवा कब्जासुदा होने का उल्लेख नहीं किया हुआ है। जबकि विक्रय विलेख में 200/– रू0 बाजार दर पर बातचीत द्वारा बेची गई होना अंकित है। जैर निगरानी पट्टा संकल्प संख्या 1 दिनांक 16.09.2014 की पालना में जारी किया गया है। जबकि प्रस्ताव रजिस्टर अनुसार 16.09.2014 को न तो पंचायत कोरम की बैठक आयोजित की हुई है, न ही इस बाबत कोई प्रस्ताव लिया हुआ हैं। इस प्रकार बिना प्रस्ताव के विक्रय विलेख जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित भूखण्ड का क्षेत्रफल 6566 वर्गफुट अंकित है। इतने बडे भूखण्ड का विक्रय विलेख बातचीत के द्वारा मात्र 200/– रू. में सन 2014 में जारी किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए बयानों में मोहनलाल एवं चन्दाराम के बयान एक ही बयान फॉर्म पर लिए गए है। सभी गवाहों ने भी जैर निगरानी भूखण्ड को अविवादित बताया है जबकि जैर निगरानी पुश्तैनी भूखण्ड के बंटवाडा संबंधी वाद विचाराधीन है। किसी भी बयान पर तारीख अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, खैरवा के मिसल संख्या 06/2014–15 एवं तथाकथित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 16.09.2014 तथा उसकी पालना में बुक संख्या 59 में जारी विक्रय विलेख संख्या 2948 जो अप्रार्थीगण श्री मोहनलाल एवं चन्दाराम पुत्र बस्तिराम के हक में जारी किया गया को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत खैरवा का रेकर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/8/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली